प्रेस नोट दिनांक 16.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिए उकसाने के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्ता गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 13/14 अक्टूबर 2026 की रात्रि थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम छाताहार यादव पट्टी निवासी की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। मृतक के भाई के अनुसार मृतक का अपनी पत्नी से विवाद रहता था तथा कर्ज आदि को लेकर भी परेशान था। मृतक के मोबाइल फोन में पत्नी मालती देवी एवं उसके अज्ञात प्रेमी से परेशान होकर विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या करने संबंधी वीडियो प्राप्त हुआ है । तहरीर के आधार पर थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 258/2026 धारा 108 वीएनएस में पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनंदन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिव नारायन वैस के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा वांछित 01 अभियुक्ता मालती देवी की गिरफ्तारी की गई ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मालती देवी पत्नी अमरेश कुमार उम्र करीब 33 वर्ष नि0 छाताहार यादव पट्टी थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ ।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 अमित कुमार सिंह मय हमराह का0 आर्यन कुमार व म0का0 प्रीति थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना कुण्डा , जनपद प्रतापगढ़

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कुण्डा पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार , बन्दूक की गोली से निकले हुए छर्रे बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 15.11.2026 को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सुजौली में भतीजी की विदाई के दौरान रास्ते में खड़ी चार पहिया गाड़ी हटाने को लेकर विवाद हो गया। विवाद के दौरान अभियुक्त तसलीम द्वारा लाइसेंसी दो नाली बंदूक से फायरिंग की गई , जिसमें वादी पक्ष के कुछ लोगों को छर्रे लगे। वहीं अभियुक्तगण तसलीम, नईम, मो० सगीर एवं तबरेज अहमद द्वारा एकराय होकर लाठी-डंडों से मारपीट की गई, जिसमें कुछ लोग घायल हो गए। इस संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कुण्डा में मु0अ0सं0 435/2026 धारा 115 (2)/352/351 (3)/109(1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री शिवनारायण वैस के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी कुण्डा श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में उप निरीक्षक राजेश कुमार मय हमराह हे0का0 दीपक दूबे म0का0 अंकिता चौधरी, म0का0 सुनयना पटेल, का0 सुनील तिवारी, का0 कुमार शिव द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित अभियुक्त एवं चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 435/2026 धारा- 115 (2)/352/351 (3)/109 (1) बीएनएस थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 03 नफर अभियुक्तगण 1. मो0 सगीर पुत्र रफीउद्दीन, 2. नईम अहमद पुत्र मो0 सगीर, 3. तबरेज अहमद पुत्र मो0 सगीर निवासीगण ग्राम सुजौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ को थाना कुण्डा क्षेत्रान्तर्गत सीएचसी कुण्डा के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटनास्थल के निरीक्षण से घटना में प्रयुक्त बन्दूक के 17 छर्रे बरामद किये गए। उक्त बरामदगी के आधार पर अभियोग उपरोक्त में धारा धारा 25/30 आर्म्स एक्ट व 3 (5) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

1. मो0 सगीर पुत्र रफीउद्दीन 2. नईम अहमद पुत्र मो0 सगीर 3. तबरेज अहमद पुत्र मो0 सगीर निवासीगण ग्राम सुजौली थाना कुण्डा जनपद प्रतापगढ।

बरामदगी-
घटनास्थल के निरीक्षण से घटना में प्रयुक्त बन्दूक के 17 छर्रे बरामद किये गए।

पुलिस टीम-
उप निरीक्षक राजेश कुमार मय हमराह हे0 का० दीपक दूबे म.का.अंकिता चौधरी, म.का. सुनयना पटेल, का. सुनील तिवारी, का. कुमार शिव।

थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता गिरफ्तार -

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना लीलापुर पुलिस द्वारा दहेज हत्या के अभियोग में वांछित 02 अभियुक्त व 01 अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 10/11.11.2026 को थाना लीलापुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मड़िया में वादी की बहन की ससुराल में मृत्यु हो गई। मृतका के भाई के अनुसार उसकी शादी करीब 20 माह पूर्व आकाश पाल से हुई थी तथा अतिरिक्त मोटरसाइकिल की मांग को लेकर ससुरालीजनों से विवाद चल रहा था। आरोप है कि पति आकाश पाल, ससुर हरिकेश पाल एवं सास संगीता द्वारा दहेज की मांग को लेकर मृतका को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था तथा इसी प्रताड़ना के चलते उसकी हत्या कर दी गई। तहरीर के आधार पर थाना लीलापुर पर मु0अ0सं0 370/2026 धारा 85/80 (2) बी0एन0एस0 व डी0पी0 एक्ट में पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक (पश्चिमी) श्री बृजनंदन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री राजीव द्विवेदी के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लीलापुर श्री राधेश्याम के नेतृत्व में थाना लीलापुर के उ0नि0 फिरोज खाँ मय हमराह हे0का0 अमित कुमार, का0 सचिन कुमार, म0का0 शक्ति द्वारा देखभाल क्षेत्र, तलाश वांछित वारंटी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 370/2026 धारा 85/80 (2) बी0एन0एस0 व डी0पी0 एक्ट से संबंधित 03 नफर अभियुक्तगण 1. आकाश पाल पुत्र

हरिकेश पाल नि०ग्रा० घरौरा (मडिया) थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष 2. हरिकेश पाल पुत्र स्व0 अमरपाल नि०ग्रा० घरोरा (मडिया) थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ 48 वर्ष 3. संगीता देवी पत्नी हरिकेश पाल नि०ग्रा० घरौरा (मडिया) थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को थाना क्षेत्रान्तर्गत लीलापुर चौराहे के स्वाद ढाबा के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. आकाश पाल पुत्र हरिकेश पाल नि०ग्रा० घरौरा (मडिया) थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष।
2. हरिकेश पाल पुत्र स्व0 अमरपाल नि०ग्रा० घरोरा (मडिया) थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ 48 वर्ष।
3. संगीता देवी पत्नी हरिकेश पाल नि०ग्रा० घरौरा (मडिया) थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 फिरोज खाँ मय हमराह हे0का0 अमित कुमार, का0 सचिन कुमार, म0का0 शक्ति थाना लीलापुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज पुलिस द्वारा ₹25,000/- के इनामिया वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त अवैध तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस बरामद।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 12.11.2026 को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत ग्राम हरिहरपुर में रामप्यारे की दुकान पर बैठे अनुप मिश्रा पुत्र शिवशंकर मिश्रा निवासी हरिहरपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायरिंग की गई थी। उक्त प्रकरण में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 434/2026 धारा 109(1), 351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस कार्यवाही-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित एवं इनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना लालगंज पुलिस द्वारा दिनांक 15.11.2026 को मुखबिर की सूचना पर ₹25,000/- के इनामिया अभियुक्त विशाल तिवारी उर्फ राजा तिवारी पुत्र राकेश तिवारी निवासी ग्राम वीरसिंहपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष को जनपद अमेठी के थाना कोतवाली अमेठी क्षेत्रान्तर्गत ग्राम भेटुआ से गिरफ्तार किया गया।

बरामदगी-
गिरफ्तार अभियुक्त से घटना के संबंध में पूछताछ के दौरान उसकी निशानदेही पर जगन्नाथपुर पुलिया से पूरे इच्छाराम नहर वाले रास्ते पर खेत के किनारे झाड़ियों में ईंट के नीचे छिपाकर रखा गया 01 अदद अवैध देशी तमंचा 315 बोर एवं 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। बरामदगी के आधार पर अभियोग में धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-
1-विशाल तिवारी उर्फ राजा तिवारी पुत्र राकेश तिवारी निवासी ग्राम वीरसिंहपुर थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 25 वर्ष।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-
1-मु0अ0सं0 292/2015 धारा 307, 323, 506 भादवि।
2-मु0अ0सं0 807/2019 धारा 323, 504, 506 भादवि व 3(1)द एससी/एसटी एक्ट।
3-मु0अ0सं0 504/2025 धारा 109(1), 191(2), 191(3), 61(2) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट।
4-मु0अ0सं0 301/2026 धारा 324(4), 333, 351(3), 352 बीएनएस।

पुलिस टीम थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़-
उ0नि0 प्रदीप कुमार, हे0का0 वीरेन्द्र मिश्रा (थाना कोतवाली अमेठी), हे0का0 योगेश सिंह (थाना कोतवाली अमेठी), का0 नितीश यादव, का0 राजू यादव, का0 कैलाश कुमार एवं का0 दिग्विजय सिंह।